अध्याय XVI

महिला अधिकारिता

इस्पात मंत्रालय

31.3.2004 की स्थिति में अनुसार समूह-वार कुल कर्मचारियों, उनमें महिला कर्मचारियों की संख्या और उनकी प्रतिशतता दर्शाने वाला विवरण नीचे दिया गया है :-

31.3.2004 की स्थिति के अनुसार

समूह	इस्पात मंत्रालय में कर्मचारियों की कुल संख्या	महिलाओं की संख्या	महिलाओं का प्रतिशत
समूह क	37	6	16.22
समूह ख	81	25	30.86
समूह ग	76	16	21.05
समूह घ	67	2	2.98

शिकायत समिति

उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुसार राष्ट्रीय महिला आयोग ने कार्य स्थल के लिए आचरण नियमावली तैयार की है। इसकी शर्तों के अनुसार संगठन का अध्यक्ष किसी महिला की अध्यक्षता में एक समिति गठित करेगा और उस समिति में आधे से अधिक सदस्य महिलाएं होनी चाहिए। इस नियमावली में आगे यह भी उल्लेख किया गया है कि वरिष्ठ स्तर के अवांछित दबाव अथवा प्रभाव की किसी संभावना से बचने के लिए इस तरह की शिकायत समिति में किसी तीसरे पक्ष-गैर सरकारी संगठन अथवा यौन उत्पीड़न के मुद्दों से संबंधित किसी अन्य निकाय को शामिल किया जाए। इन निर्देशों के अनुपालन में इस्पात मंत्रालय के एक वरिष्ठ महिला अधिकारी की अध्यक्षता में और चार अन्य सदस्यों से युक्त एक शिकायत समिति गठित की गई है जिसमें एक गैर-सरकारी स्वैच्छिक संगठन, ह्यूमन राइट्स ला नेटवर्क का प्रतिनिधि भी शामिल है।

यह समिति पीड़ित द्वारा की गई शिकायत के निवारण और सचिव, इस्पात मंत्रालय को सिफारिशें प्रस्तुत करने तथा सचिव, इस्पात मंत्रालय को वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के प्रति उत्तरदायी है। इस समिति की पहली बैठक 8.2.2002 को और दूसरी बैठक 5.5.2004 को हुई जिसमें इस्पात मंत्रालय की महिलाएं शामिल हुई। आलोच्य वर्ष के दौरान इस्पात मंत्रालय में यौन उत्पीड़न के सम्बन्ध में किसी महिला से कोई शिकायत नहीं मिली।

स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लि. (सेल)

कम्पनी की पदोन्नति नीति के अनुसार संगठन में किसी भी स्तर पर पदोन्नति के लिए दोनों लिंगों को समान अवसर हैं। इस्पात संयंत्रों के प्रबन्धन, महिलाओं के चयन, भर्ती, तैनाती, प्रशिक्षण पुन: प्रशिक्षण और पदोन्नति में महिलाओं द्वारा सामना की जा रही अड़चनों को दूर करने के कार्य को देखते हैं और किसी भी प्रकार के भेदभाव को रोकने के लिए सकारात्मक कार्रवाई करते हैं। पुरूष और महिला साथ

मिलकर सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाने के प्रति जागरूक हैं ताकि समान आधार पर और समान अवसर देने, उत्पीड़न से बचने के लिए भाई-चारे का माहौल बने और इष्टतम निष्पादन एवं सुचारू रूप से योगदान देने में उनकी प्रतीभा को बढ़ाया जा सके।

क्रेच, पृथक वास-रूम तथा अन्य सुविधाओं जैसी सांविधिक कल्याणकारी उपलब्ध सुविधाओं का प्रबोधन किया जाता है और सभी संयंत्रों में संबंधित कार्मिक/ कल्याण अधिकारी इनकी नियमित आधार पर रख-रखाव के प्रति सचेत हैं। इन लाभों के अतिरिक्त, महिला कर्मचारी मातृत्व और प्रसव छुट्टी की भी पात्र हैं।

कार्य स्थल पर महिला कर्मचारियों को यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों को निपटाने के लिए उच्चतम न्यायालय के निर्देशों का नियमित आधार पर प्रबोधन किया जा रहा है। प्रत्येक संयंत्र/इकाई में महिला कार्यपालक की अध्यक्षता में समितियां गठित की गई हैं जिसमें विभिन्न विभागों के सदस्य शामिल हैं। वास्तव में, कुछ इकाइयों में संबंधित समितियों में 50% से अधिक महिला सदस्य हैं। इसका अनूठा उदाहरण सेल के भिलाई इस्पात संयंत्र तथा पर्यावरण प्रबन्ध प्रभाग हैं, जहां गैर-सरकारी संगठन के सदस्य भी संबंधित समितियों में प्रतिनिधि हैं।

इस समय लगभग 8538 महिला कर्मचारी हैं जिसमें 7896 गैर-कार्यपालक और 732 कार्यपालक हैं। 732 कार्यपालकों में से 150 से अधिक मध्यम एवं वरिष्ठ स्तर के कर्मचारी हैं।

राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आर आई एन एल)

संयंत्र, बस्ती और पुर्नवास कालोनियों में छः महिला संगठन हैं। सार्वजनिक क्षेत्रों में विस्टील, महिला समिति, पेडिमम्बा महिला मण्डली, पेडागंतयादा महिला मण्डली, जन चेतना महिला मण्डली तथा सीतारामा महिला मण्डली हैं।

कुद्रेमुख आयरन ओर कम्पनी लिमिटेड (केआईओसीएल)

वेतन का भुगतान, कार्य घंटे, स्वास्थ्य, सुरक्षा जन कल्याण पहलुओं, मातृत्व आदि लाभ जैसे मामलों में महिला कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए कम्पनी द्वारा आवश्यक उपाय करके सांविधिक प्रावधानों का पालन किया जा रहा है।

31.3.2004 की स्थिति के अनुसार कम्पनी की नामावली में महिला कर्मचारियों का ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

समूह	कर्मचारियों की कुल संख्या	महिला कर्मचारी	प्रतिनिधित्व का %
क	483	27	5.59
ख	234	42	17.95
ग	1250	36	2.88
घ	150	15	10.00
घ (एस)	35	14	40.00
कुल :-	2152	134	6.22

परिसरीय विकास कार्यक्रम-प्लेट उत्पादन मिल, आर आई एन एल, वी एस पी के लीफ संयंत्र का उद्घाटन

माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुसार कम्पनी की नियमावली में कार्य स्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न को निषिद्ध करने के संबंध में एक खण्ड जोड़कर संशोधित किया गया है। यौन उत्पीड़न की शिकार महिलाओं द्वारा की गई शिकायतों का निपटान करने के लिए सितम्बर 1998 में एक शिकायत समिति का गठन किया गया। शिकायत समिति की अध्यक्ष एक वरिष्ठ कार्यपालक हैं। मान्यता प्राप्त यूनियन की तीन महिलाएं इसमें सदस्य हैं। तीसरे पक्ष के सदस्य के रूप में कर्नाटक उच्च न्यायालय की एक महिला वकील इसकी सदस्य है।

महिला मंच :- सरकारी क्षेत्र में महिलाएं नामक महिला मंच के.आई.ओ.सी.एल. में प्रचालनरत है और अधिकांश महिला कर्मचारी इस मंच की सदस्य हैं। के.आई.ओ.सी. एल., डब्ल्यू.आई.पी.एस. का आजीवन सदस्य है। डब्ल्यू आई. पी.एस. के साथ सम्पर्क बनाए रखने के लिए के आई ओ सी एल से बारी-बारी से समन्वयक नामित किए जा रहे हैं और डब्ल्यू आई पी एस की वार्षिक बैठकों/क्षेत्रीय बैठकों में भाग लेने के लिए कम्पनी द्वारा महिला कर्मचारियों (सदस्यों) को भेजा जा रहा है।

कम्पनी की महिला कर्मचारियों द्वारा प्रतिवर्ष 8 मार्च को अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है और

इस अवसर पर कुद्रेमुख, मंगलौर और बंगलौर स्थित कार्यालय में कार्यक्रम समारोह आयोजित किए जाते हैं।

मैंगनीज ओर (इंडिया) लि. (मॉयल)

31.3.2004 की स्थिति के अनुसार मॉयल में 833 महिला कर्मचारी हैं जो कुल श्रम शक्ति 7159, का 12% है।

उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुसरण में भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा जारी कार्यस्थल पर कार्यरत महिला कर्मचारियों के यौन उत्पीड़न से संबंधित मार्गदर्शनों को परिचालित किया गया है। तदनुसार तीन अधिकारियों से युक्त एक शिकायत समिति 1999 में गठित की गई थी जिसमें एक महिला डाक्टर भी शामिल है। कम्पनी की किसी खान अथवा निगमित कार्यालय से उत्पीड़न की कोई शिकायत नहीं मिली है। महिला श्रमिकों को जागरूक करने के लिए निर्देशों को व्यापक रूप से परिचालित किया गया है।

महिला मण्डलियां कम्पनी की सभी खानों में दक्षता से कार्य कर रही हैं। विभिन्न सांस्कृतिक, सामाजिक, शैक्षिक और समुदायिक कार्य कलाप जैसे प्रौढ़ शिक्षा, रक्तदान कैंप, नेत्र चिकित्सा कैम्प, परिवार नियोजन कैम्प आदि नियमित रूप से आयोजित किए जा रहे हैं जो मुख्यतया दूरस्थ खान क्षेत्रों में रह रही महिलाओं के लाभ के लिए हैं।

प्रत्येक वर्ष 8 वर्ष मार्च को अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है और इस दिन विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।

परिवार नियोजन के लिए कम्पनी मातृत्व छुट्टी और विशेष आकास्मिक छुट्टी देती है। कम्पनी ने अपनी खानों में क्रैच खोल रखे हैं और माताओं को दूध पिलाने का समय देती है।

स्पंज आयरन इंडिया लिमिटेड (सिल)

कम्पनी के सामाजिक कार्यकलापों की उच्चतम प्राथमिकता में महिला कल्याण शामिल है। इस कार्य के लिए कम्पनी में महिला समिति है जिसमें कम्पनी की महिलाएं शामिल हैं जो न केवल कार्य स्थल पर उत्पीड़न के खिलाफ महिला कर्मचारियों की सुरक्षा को देखती है अपितु उनके कल्याण को भी देखती है। महिला कल्याण के लिए स्पंज आयरन वनिता सरावथी नामक एक एसोसिएशन है जिसे कम्पनी की स्थापना से ही गठित किया गया था। यह संयंत्र में कार्य कर रहीं और आस-पास रहने वाली महिलाओं की स्थिति में सुधार कार्य में सहयोग करती है। इस एसोसिएशन में कम्पनी में कार्यरत कर्मचारियों की पत्नियां शामिल हैं। इस एसोसिएशन के कल्याणकारी कार्यकलापों में स्वास्थ्य और परिवार नियोजन से संबंधित विभिन्न जागरूकता वाले कार्यक्रमों का आयोजन शामिल है। यह अनेक प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित करती है जैसे कि सिलाई की कक्षाएं आयोजित करना तथा महिलाओं, विशेष रूप से आदिवासी और समाज के कमजोर वर्गों की, की कार्य दक्षता में सुधार करने के लिए अन्य दक्ष कार्य के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना, ताकि वे स्वयं रोजगार कर सके। स्पंज आयरन वनिता सरावथी आसपास के गरीब बच्चों को सीधे नि:शुल्क किताबें और अन्य सुविधाएं सुलभ कराके भी सहायता प्रदान करती है।

मेकॉन लिमिटेड

मेकॉन कालोनी (श्यामली) में महिलाओं के सामाजिक कार्य कलाप

मेकॉन कालोनी की महिलाओं ने श्यामली महिला मिलन सोसायटी गठित कर रखी है जो मेकान कालोनी (श्यामली) में सामाजिक-सांकृतिक कार्यक्रलाप आयोजित करती है। इस संगठन के प्रमुख कार्यकलापों में गरीब बच्चों और झुग्गी-झोपड़ी की माताओं तथा आस-पड़ोस के स्थानीय ग्रामीणों के लिए वेबी क्लिनिक चलाना भी शामिल है।

यह संगठन विकलांग बच्चों के पड़ोस के स्कूल के साथ बराबर सम्पर्क में रहता है और जहां तक संभव होता है यह उनकी जरूरतों की ओर ध्यान देता है। स्कूल जाने वाले गरीब बच्चों को उनके स्कूल के खर्चों के लिए सहायता देना भी इस संगठन के कार्यकलाप की प्राथमिकता क्षेत्र में शामिल है।

महिला कर्मचारियों की शिकायतों के निवारण के लिए समिति

महिला कर्मचारियों से युक्त एक समिति मेकॉन में जून 1999 से कार्यरत है जो कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से संबंधित मामलों में महिला कामगारों/कर्मचारियों की सुरक्षा और उनकी शिकायतों का निवारण करती है।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों (डब्ल्यू आई पी एस) में महिलाओं का प्रतिनिधित्व

मेकॉन का डब्ल्यू आई पी एस-पूर्वी क्षेत्र में एक वरिष्ठ इंजीनियर प्रतिनिधि है।